



क्षेत्रीय कार्यालय

फोन: 01482-241159

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल

18, आजाद नगर, पन्नाधाय सर्किल, भीलवाड़ा

राप्रनिम/क्षैका भील/भील/पी.एच./ 46-7

दिनांक: 17/3/15

जिला कलक्टर,
कार्यालय जिला कलक्टर,
जिला-राजसमन्द।

विषय:- श्री राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा लत्सानी तहसील-देवगढ़ के राजस्व ग्रामों से एरिया 339.62 हैक्टर पर प्रस्तावित नदी नालों से बजरी खनन का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में जन सुनवाई आयोजित कराने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्र क्रमांक प040(7)(42)सा0प्र0/पर्या/जनसु/11/146 दिनांक 23.02.2015, इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 12.03.2015.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित पत्रों के क्रम में लेख है श्री राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा लत्सानी तहसील-देवगढ़ के राजस्व ग्रामों से एरिया 339.62 हैक्टर पर प्रस्तावित नदी नालों से बजरी खनन का पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संबंध में जन सुनवाई कार्यक्रम का प्रकाशन आप द्वारा निर्धारित नियत तिथि में करवाना सम्भव नहीं है क्योंकि समाचार पत्रों में जन सुनवाई का प्रकाशन जन सुनवाई की दिनांक से 30 दिन पूर्व करवाना होता है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त जनसुनवाई हेतु नई तिथि एवं स्थान की सूचना प्रेषित करवाने की कृपा करें ताकि जन सुनवाई की आम सूचना समाचार पत्रों में निर्धारित तिथि से 30 दिन पूर्व प्रकाशित करवाई जा सके।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

- ६ -

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. सदस्य सचिव, रा.प्र.नि.म., जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।

2. श्री राजेन्द्र सिंह राणावत पुत्र श्री भरत सिंह राणावत, ग्राम-हथोरिया, पोस्ट-बिहारा, तहसील-जहाजपुर, जिला-भीलवाड़ा को सूचनार्थ प्रेषित है।

क्षेत्रीय अधिकारी



REGIONAL OFFICE
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
18, Azad Nagar, Pannadhai Circle, Bhilwara - 311001

☎ 01482-241159

RPCB/RO BHL/RAJ/ 537

Date : 19/03/15

Group Incharge (Mines),
RPCB,
Jaipur.

Sub.-> Public hearing for Environmental Clearance to Shri Rajendra Singh Ranawat for Bajri mine, (lease area 339.62 hectare) project of revenue village-Lasani, Tehsil-Deogarh, District-Rajsamand.

Ref.-> Public Hearing conducted on dated 27.04.2015 at Panchayat Samiti, Deogarh, Tehsil-Deogarh, District-Rajsamand.

Sir,

Please find herewith the minutes of public hearing conducted at Panchayat Samiti, Deogarh, Tehsil-Deogarh, District-Rajsamand along with CD of Videography & photographs for further necessary action.

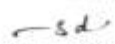
In this context the lessee has already remitted Rs. 30000/- vide DD No.-928841 dt. 05.01.2015 drawn on PNB with Regional Office, Bhilwara.

Regards,

Encl. 1. Minutes of Public Hearing (Three sets).

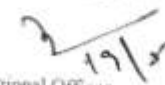
2. CD of the Videography & Photographs (Three sets).

Yours Sincerely


Regional Officer

Copy to:-

1. District Collector, Rajsamand with one set of minutes, CD of the videography & photography of Public Hearing.
2. Analyst Cum Programmer, RPCB, Jaipur to display minutes on website of Board.
3. Shri Rajendra Singh Ranawat, Village-Hathodiya, Post-Bihara, Tehsil-Jahazpur, District-Bhilwara with copy of proceeding to display at the office of the Gram Panchayat within jurisdiction of the project located & office of the Panchayat Samiti Zila Parishad, Nagar Parishad & Urban Improvement Trust and to submit the Form-I and pre-feasibility report directly at H.O., Jaipur with a copy to this office at earliest.
4. Panchayat Samiti, Deogarh, Tehsil-Deogarh, District-Rajsamand with one set of minutes to display.


Regional Officer

जनसुनवाई कार्यवाही विवरण

आवदेक- श्री राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा निकट ग्राम-लसानी तहसील-देवगढ़ के राजस्व ग्रामों से एरिया 339.62 हैक्टर पर प्रस्तावित खारी नदी से बजरी खनन क्षमता 150000 टन प्रतिवर्ष बाबत परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 27.04.2015 को आयोजित लोक जनसुनवाई का विवरण:-

स्थान- कार्यालय पंचायत समिति, देवगढ़, जिला-राजसमन्द (राज.)।

दिनांक- 27.04.2015

समय- 03:00 बजे

उपस्थिति : सर्व श्री

- (1) गोविन्द सिंह राणावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजसमन्द।
- (2) महावीर मेहता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, भीलवाड़ा।
- (3) कौशल किशोर जेथल्या, वैज्ञानिक अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, भीलवाड़ा।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, भीलवाड़ा की सार्वजनिक सूचना क्रमांक राप्रनिम/क्षैका भील/भील/पी.एच./4608-09 दिनांक 17.03.2015 भीलवाड़ा के अनुसार निर्धारित तिथि 27.04.2015 को पंचायत समिति, देवगढ़, जिला-राजसमन्द में श्री राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा निकट ग्राम-लसानी तहसील-देवगढ़ के राजस्व ग्रामों से एरिया 339.62 हैक्टर पर प्रस्तावित खारी नदी से बजरी खनन हेतु परियोजना की जनसुनवाई श्री गोविन्द सिंह राणावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजसमन्द एवं श्री महावीर मेहता, क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय, भीलवाड़ा की उपस्थिति में आयोजित की गई। उक्त जन सुनवाई के लिए नियमानुसार समाचार पत्र दैनिक भास्कर एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 23.03.2015 को आम सूचना प्रकाशित की गई थी। समाचार पत्रों की फोटोप्रतियां संलग्न हैं। यह जन सुनवाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुरूप आयोजित की गई। जन सुनवाई प्रस्तावित परियोजना स्थान कार्यालय पंचायत समिति, तहसील-देवगढ़, जिला-राजसमन्द में दिनांक 27.04.2015 को आयोजित की गई। जन सुनवाई की विड़ियाँ रिकॉर्डिंग सी.डी एवं फोटोग्राफ संलग्न हैं। जन सुनवाई में उपस्थित 19 व्यक्ति उपस्थित हुए जिसकी सूची संलग्न है।

जन सुनवाई की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी, श्री महावीर मेहता ने जन सुनवाई में आये हुए सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हुए, जन सुनवाई के प्रावधानों, उद्देश्यों तथा महत्व के बारे में बताते हुए उपस्थित जन समूह से यह अपील की, कि वे इस प्रस्तावित परियोजना से पर्यावरण संरक्षण/नियंत्रण संबंधित अपनी आपत्ति, सुझाव और अपेक्षाओं के बारे में विचार मौखिक/लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह राणावत के तकनीकी सलाहकार मैसर्स एपेक्स मिनटैक कन्सल्टेंट के श्री आर. डी. सक्सेना ने इस परियोजना के प्रतिवेदन का विस्तार से वर्णन किया तथा श्री राजेन्द्र सिंह राणावत द्वारा निकट ग्राम-लसाणी तहसील-देवगढ़ के राजस्व ग्रामों से एरिया 339.62 हेक्टेयर पर प्रस्तावित खारी नदी से बजरी खनन क्षमता 150000 टन प्रतिवर्ष परियोजना के बारे में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संबंधी जानकारी बताई।

वैज्ञानिक अधिकारी, श्री कै. के. जैधल्या ने जन सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों से कहा कि आप परियोजना के संबंध में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण एवं पर्यावरण संबंधी प्रश्न/आक्षेप/ सुझाव देते हुए अपनी बात कह सकते हैं।

जन सुनवाई में उपस्थित श्री दिग्विजय सिंह के द्वारा जानकारी चाही गई कि इस खनन परियोजना से कुओं का वाटर लेवल डाउन जायेगा या नहीं।

उपरोक्त कथन के अनुक्रमण में संवेदक के तकनीकी सलाहकार मैसर्स एपेक्स मिनटैक कन्सल्टेंट के श्री आर. डी. सक्सेना ने बताया कि यदि बहुत अधिक गहराई से खनन किया जायेगा तो ऐसा सम्भव है। नियमानुसार खनन 03 मीटर की गहराई तक किया जायेगा एवं इससे कुओं के जल स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुनः श्री दिग्विजय सिंह के द्वारा जानकारी चाही गई कि खारी नदी पर बहुत अधिक एनिकट बन चुके हैं इससे पानी का फ्लो नहीं होगा एवं रेत की भरपाई भी सम्भव नहीं होगी। इसलिए 03 मीटर से अधिक गहराई से खनन की सम्भावना रहती है। उनके द्वारा जानकारी चाही गई कि प्रतिवर्ष कितनी रेत निकाली जायेगी।

श्री आर. डी. सक्सेना ने बताया कि नियमानुसार 03 मीटर से अधिक गहराई से खनन नहीं किया जायेगा एवं इस पर खान एवं भू-विज्ञान विभाग की निगरानी रहती है। प्रतिवर्ष 150000 टन तक बजरी खनन किया जा सकेगा।

पुनः श्री दिग्विजय सिंह ने सुझाव दिया कि इस खनन परियोजना की स्वीकृति से पहले वर्तमान में नदी की स्थिति की विडियोग्राफी करवा ली जाये जिससे भविष्य में पता लगाया जा सके कि नियमानुसार खनन हो रहा है या नहीं।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय द्वारा कहा गया कि संवेदक श्री राजेन्द्र सिंह राणावत नदी की स्थिति की विडियोग्राफी करवाकर प्रेषित करें एवं मिनिट्स के साथ विडियोग्राफी की सी.डी. भी भेज दी जाये।

जन सुनवाई में उपस्थित जन समुदाय में से किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अन्य जानकारी नहीं चाही गई।

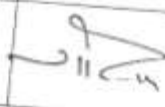
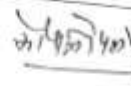
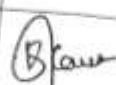
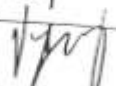
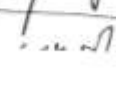
अन्त में श्री गोविन्द सिंह राणावत, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, राजमसन्द द्वारा उपस्थित जन समुदाय को शान्ति एवं संयमपूर्वक अपनी बात कहने एवं जन सुनवाई में भाग लेने हेतु हार्दिक आभार व्यक्त किया गया एवं जन सुनवाई की समाप्ति की घोषणा की गई।

(गोविन्द सिंह राणावत)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
राजमसन्द

(महावीर मेहता, क्षेत्रीय अधिकारी),
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
(भीलवाड़ा)

आगम २३ उपास्थांत फलक

राजस्थान राज्य प्रहारा निर्माण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय
भीलवाड़ा. के तत्वावधान में खारी-नदी बजरी
खनन परियोजना, तहसील-देवगढ़, जिला-राजसमंद (राज.)
क्षेत्रफल - 339.62 हेक्टेयर, असादा माला: 15000 मी.ट.
आवेदक :- श्री राजेन्द्र सिंह राणावत
जन्म तिथि - 24.4.2015
समय - दोपहर 3:0 बजे
स्थान - कार्यालय पंचायत समिति, देवगढ़
जिला-राजसमंद (राज.)

क्रम संख्या	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	G.S. Ranawat	ADM Rajsmnd	
2.	महवीर मेहरा	क्षेत्रीय समिती, राज. प्रहारा निर्माण मंडल, भीलवाड़ा	
3.	के.के. जेयन्ता	बैशागि अधिकारी, राज. राज्य प्रहारा निर्माण मंडल, क्षेत्रीय कार्यालय (राज.)	
4.	जिनेन्द्र सिंह	SDM Devgadh	
5.	R.D. Saxena	Apex Mntech Consultant.	
6.	Kishan Lal Rawat	App Mntech Consultant	
7.	Vijay Wathi	Devnash	
8.	हनुमान्	माला	

क्र.सं.	नाम	पता	हस्ताक्षर
9	इन्दुसिंह	बली जम्हाबेडा	इन्दुसिंह
10	नन्दमन्दलिट	देवगाढ़	
11	मनोप कुमार	देवगाढ़	मनोप
12	श्री गौडा सिंह -	हथौडा	
13	हेमराज	पुथाला कोलोडा	हेमराज
14	उमेश सिंह पुण्डव	मोथगा	
15	लक्ष्मण गुप्ता	पीताम्पुर	
16	अर्जुन गुर्जर	देवगाढ़	अर्जुन
17	श्री दुलाल	आली	श्री दुलाल
18	श्री सरीनाम	आली	श्री सरीनाम
19	रतननाथ	आली	रतननाथ
20			
21			
22			

supindia.com, www.bharatbhaskar.com and

10 माह से 'ताक रहे' पेंशन

देवगढ़ ७० प्रतिशत दस माह पूर्व
जारी हुए प्रमाण पत्रों के बाद भी अभी
तक केवल 6-4 लोगों को पेंशन नहीं
मिली है। इसमें मुक्त बंधन बच्चों से
लेकर विधवा, विकलांग लोग हैं।
जिनमें 40 अंगणवाड़ी कार्यकर्ता एवं
मुख्यमंत्री विकास, विधवाओं को
पेंशन देने के लिए प्रमाण पत्र बंधन
हैं।

लोकित तब से आज तक उन्हें
पेंशन नहीं मिली। इधर जिला कलेक्टर
के उपस्थित नुकसान सहित रहस्योद्घाटन
को पत्र लिखकर शीघ्र ही पेंशन
दिलाने की मांग की है, यद्यपि ही 8
अंगणवाड़ी कार्यकर्ता नहीं मिलने पर
उपखंड कार्यालय पर धरना देने की
चेतावनी दी है।

कार्यकारिणी का विस्तार

केलमगर, भारतीय जनता पार्टी के
सदस्यता अधिनियम के तहत रक्षा सेवा
अथवा संरक्षण सेवा में कार्यकारी की
विस्तार किया जा रहा है। मद्रास
संघेनक अथवा मद्रास में नौकरानों
मण्डल सहसंयोजक के रूप में सहजार्थ
होने योग्य, सहायक सहजार्थ
सहायक के रूप में नियुक्त होने
योग्य, सहजार्थ के रजिस्ट्रार
मोहम्मद रंगरेज एवं मोहम्मद
साह को मनोनीत किया है।



1. एक
2. एक
3. एक
4. एक
5. एक
6. एक
7. एक
8. एक
9. एक
10. एक
11. एक
12. एक
13. एक
14. एक
15. एक
16. एक
17. एक
18. एक
19. एक
20. एक
21. एक
22. एक
23. एक
24. एक
25. एक
26. एक
27. एक
28. एक
29. एक

राजस्थान राज्य प्रमुख निदेशिका, भीलवाड़ा
प्रमुख निदेशिका, भीलवाड़ा के लिए आज सुबह

1. लखनऊ को सुबह 10:30 बजे से 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
2. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
3. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
4. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
5. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
6. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
7. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
8. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
9. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
10. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
11. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
12. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
13. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
14. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
15. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
16. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
17. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
18. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
19. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
20. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
21. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
22. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
23. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
24. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
25. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
26. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
27. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
28. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।
29. और फिर भी लखनऊ को सुबह 11:00 बजे तक के लिए 139 42 दिनांक पर प्रकाशित करें।

विजली कटौती से परेशानी

बीकानेर आवासीय क्षेत्र में पंचायत
प्रमुखता पर विवाद के कारण से
बिजली आपूर्ति में रुकावट रही
आजकाल के जल संकट के कारण
है। पंच के अध्यक्षों में ने जल
कि प्रमाण पत्र के आधार पर
को लाने में विवाद है। पंच नहीं
मिल रही है। दिन में जल बिजली
बुल हो जाती है। जिससे घरों को
पानी बिजली को नुकसान करने पर
बचत हो ब पड़ रही है। घरों में
पानी आपूर्ति का कठिनाई है।
आजकाल में सुधार के लिए



1. एक
2. एक
3. एक
4. एक
5. एक
6. एक
7. एक
8. एक
9. एक
10. एक
11. एक
12. एक
13. एक
14. एक
15. एक
16. एक
17. एक
18. एक
19. एक
20. एक
21. एक
22. एक
23. एक
24. एक
25. एक
26. एक
27. एक
28. एक
29. एक

